न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 798–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 32/16–17/अपील.

1–रामकली बाई पत्नी श्री गंगाराम
2–गीताबाई पत्नी श्री लालजीराम
निवासी गण ग्राम आंवला तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1–विनोदकुमार आत्मज श्री करतारसिंह
2–राजेन्द्र शर्मा
निवासी गण ग्राम आंवला तहसील हुजूर जिला भोपाल
.....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0के0तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा **नायब तहसीलदार** के आदेश दिनांक 21–10–2016 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय **अधिकारी** के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर **कार्यवाही प्रारंभ** की गई ।

कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 11 नियम 12 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–2–2017 को अंतरिम आदेश पारित कर दोनों आवेदन पत्र निरस्त किये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 11 नियम 12 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस आदेश से सर्वे कमांक 234 का अक्श बटांन तैयार किया गया है उसकी प्रति प्रस्तुत कराई जाये क्योंकि जिस आदेश से अक्श बटांन होना बतलाया जा रहा है वह प्रकरण पंजीबद्ध ही नहीं हुआ है, परन्तु उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि नक्शा सुधार का प्रकरण कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है इसलिये उनके समक्ष अपील में प्रचलित कार्यवाही स्थगित की जाये क्योंकि त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर यदि आदेश पारित किया जाता है तो निश्चित रूप से आवेदकगण के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही होगी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध प्रचलित है जिसमें सीमांकन की वैधानिकता पर विचार नहीं किया जा सकता है । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी मात्र अधीनस्थ न्यायालय में अपील में प्रचलित कार्यवाही को लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है, इसलिये निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण की ओर से कलेक्टर के समक्ष बटांन का कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल एक झूठी शिकायत की गई थी जिसके निराकरण कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा आवेदकगण का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 11 नियम 12 का आवेदन पत्र गलत निरस्त किया गया है क्योंकि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में अपने पक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत करने का उन्हें पूर्ण अवसर मिलना चाहिये । बटांकन एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसका पूर्व में होना दूसरे पक्ष को प्रमाणित करना चाहिये, यदि वह ऐसा क्लेम कर रहा है तो । जहॉ तक संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र का प्रश्न है वह अनुविभागीय अधिकारी ने सही ही निरस्त किया है, क्योंकि आवेदक को चाहिये कि वह कलेक्टर न्यायालय से स्थगन लेकर प्रस्तुत करें । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश इस बिन्दु पर वैधानिक एवं उचित है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल का आदेश दिनांक 14–2–17 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है । निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर